न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS

GCMS प्रकरण संख्या 2021 / 46

प्रकरण संख्या 181 / 21

अनवान

श्रीमती शोभा कुँवर बनाम श्रीमती कमल कुंवर

अनवान

1. श्रीमती शोभाकुँवर पिता स्व.श्री उम्मेदसिंह पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, निवासी–अरणिया, हाल–गरजणिया, तह.–बड़ीसादड़ी, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती कमलकुँवर पत्नि स्व.श्री चतरसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, , निवासी–अरणिया, हाल–गरजणिया, तह.–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भंवरकुँवर पत्नि श्री वाघसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, निवासी शोभजी का गुड़ा, तह.–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रामकुँवर पत्नि श्री रामसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, निवासी–विसनपुरा, तह. –मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती चन्द्रकुँवर पत्नि श्री भेरूसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, निवासी– बोरतलाई, तह. –वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्री रायसिंह पिता श्री तखतसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, निवासी– खूमजी का खेड़ा, तह.– वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
6. श्री तेजसिंह पिता श्री किशोरसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, निवासी– बोरतलाई, तह. –वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
7. श्री कालुसिंह पिता श्री प्रतापसिंह राजपूत, आयु–वयस्क, , निवासी–अरणिया, हाल–गरजणिया, तह.–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
8. श्री सुरेन्द्रकुमार पिता श्री रामेश्वरलाल [illegible] आयु–वयस्क, निवासी– बोरतलाई, तह. –वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी – श्री मुकेश कुमार डांगी

अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री नारायणलाल जाट

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः 10.03.2022

1. प्रार्थीया श्रीमती शोभाकुँवर पिता स्व. श्री उम्मेदसिंह पत्नि श्री लक्ष्मणसिह राजपूत, निवासी अरणिया, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम–अरणिया, पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित **परिशिष्ठ (क)** आ.नं. 238 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, आ.नं. 239 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, आ.नं. 240 रकबा 16 बिस्वा, आ.नं. 246 रकबा 1 बीघा, आ.नं. 299 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ.नं. 306/10 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में चन्द्रकुँवर पुत्री चतरसिंह 1/2, भंवरकुँवर, रामकुँवर पुत्री चतरसिंह 1/2 हि.ब. राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम पर अंकित होकर नामांतरणकरण संख्या 643 एवं 654 से आ.नं. 246, 299, 306/10, कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में रामकुँवर, भंवरकुँवर पुत्री चतरसिंह का हिस्सा कालुसिंह पिता प्रतापसिंह भाटी राजपूत के नाम पर अंकित हुआ है।
2. **परिशिष्ठ (ख)** में स्थित आ.नं. 244 रकबा 06 बिस्वा आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में चन्द्रकुँवर पिता चतरसिंह 1/4, भंवरकुँवर, रामकुँवर पुत्री चतरसिंह 1/4 के नाम पर अंकित है, शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारान के नाम पर अंकित है तथा **परिशिष्ठ (ग)** में स्थित आ.नं. 302 रकबा 02 बिस्वा, आ.नं. 303/2 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बिस्वा आराजीयात वर्तमान में सुरेन्द्रकुमार पिता रामेश्वरलाल 1/2 ढ़ोली, भंवरकुँवर, रामकुँवर पिता चतरसिंह 1/2 राजपूत सा.देह. खातेदार के नाम पर अंकित है।
3. प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 एक ही खानदान के है तथा उनका पारिवाकि सजरा निम्न हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

4. परिशिष्ठ (क) एवं (ग) में अंकित कुलिया आराजीयात तथा परिशिष्ठ (ख) में अंकित आराजी का 1/2 हिस्सा प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के मौरूस उम्मेदसिंह के

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

समय से चली आ रही होकर प्रार्थीया एवं विपक्षीसंख्या 1 से 6 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पेतृक जायदाद है एवं इस जायदाद पर जब तक उम्मेदसिंह जीवित रहे वह काबिज होकर काश्त करते रहे। उम्मेदसिंह के मरणोपरान्त उक्त जायदाद उम्मेदसिंह के चारों विधिक वारिस चतरसिंह, केशरकुँवर, तखतकुँवर, शोभाकुँवर में हिस्से बराबर से 1/4 हिस्से अनुसार न्यायगमित हुई और चारों ही विधिक वारिस इस जायदाद पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करने लग गये। चतरसिंह के मरणोपरान्त उनके 1/4 हिस्से पर उनके विधिक वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 काबिज है। केशर कुँवर के मरणोपरान्त उसके 1/4 हिस्से पर उसका विधिक वारिस विपक्षी संख्या 6 काबिज है। प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्से पर उम्मेदसिंह के मरणोपरान्त लगातार निरन्तर निराबाध रूप से बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्से की एकमात्र कानूनन खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारिणी है एवं प्रार्थीया के इस 1/4 हिस्से में किसी अन्य का किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार परिशिष्ठ क, ख एव ग में अंकित उम्मेदसिंह की कुलिया आराजीयात राजस्व अभिलेख में उनके मरणोपरान्त सभी विधिक वारिसान चतरसिंह, केशरकुँवर, तखतकुँवर, शोभाकुँवर के नाम पर हिस्से बराबर से खातेदारी अधिकार से अंकित होनी चाहिए थी, परन्तु आराजीयात अवेध एवं शून्य प्रभावी तरीके से अकेले चतरसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित हो गई, जिससे चतरसिंह के मरणोपरान्त पुनः अवेध एवं शून्य प्रभावी तरीके से विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित हो गई तथा इसके बाद इस अवेध एवं शून्य प्रभावी अंकन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 ने एक दिखावटी, बनावटी, अवेध एवं शून्य प्रभावी हक त्यागपत्र विपक्षी संख्या 4 के नाम पर निष्पादित कर दिया, जिससे ऐसे हक त्याग पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के स्थान पर राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या 4 के नाम का अंकन हुआ तथा इसके बाद विपक्षी संख्या 2 एवं 3 ने भी ऐसे अवैध व शून्य प्रभावी अंकन के आधार पर परिशिष्ठ (क) में अंकित आ.नं. 246, 299, 306/10 किता 3 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में उनके नाम पर अंकित 1/2 हिस्से का एक दिखावटी, बनावटी, अवैध एवं शून्य प्रभावी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के स्थान पर राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या 7 के नाम का अंकन हो गया। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 4 ने भी ऐसे अवैध व शून्य प्रभावी अंकन के आधार पर [illegible] अंकित आराजीयात में उसके नाम पर अंकित 1/2 हिस्से का एक दि[illegible] पत्र विपक्षी संख्या 8 के नाम पर निष्पादित कर दिया, जिससे ऐसे विक्रय पत्र [illegible]धार पर विपक्षी संख्या 4 के स्थान पर राजस्व अभिलेख में वि[illegible] अंकन हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थना पत्र में उक्त सभी अंकन एवं हक त्याग पत्र व विक्रय पत्र पूरी तरह से अवैध एवं शून्य प्रभावी होकर प्रार्थीया के हक, अधिकारों के

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

मुकाबले पूरी तरह से बेअसर है, जिनके आधार पर विपक्षीगण को किसी भी प्रकार के कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3,7 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वाद गलत आधारो पर पेश किया गया है तथा परिशिष्ठ क, ख, ग में वर्णित अंकन राजस्व रेकर्ड से संबंधित है जो स्वीकार है ता प्रस्तुत सजरा अस्पष्ट है तथा सजरे में दर्शाये व्यक्तियों की मृत्यु कब हुई का उल्लेख नहीं कर वादी न जानबुझकर मिथ्या भ्रामक कथन वर्णित किये है जिससे अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजियात में केसरकुंवर, तख्त कुंवर, शोभा कुंवर का कोई हिस्सा निहित ही नहीं हुआ तो फिर पश्चातवर्ती हिस्सा रायसिंह, तेजसिंह में निहित होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी स. 1, 2, 3, में निहित हो गया और तत्पश्चात् परिशिष्ठ क में उल्लेखित आराजीयात संख्या 246, 299, 306/10 के वर्तमान खातेदार कालूसिंह पिता प्रतापसिंह भाटी में निहित है। जो वादी पक्ष एवं हर आम खास के ज्ञान में खुले तौर से है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अतुलनीय क्षति होना, सुविधा सन्तुलन का बिन्दु वादी प्रार्थी के पक्ष में होना यह सारे कथन मिथ्या बनावटी गलत होने से स्वीकार नहीं।

8. अप्रार्थी संख्या 8 श्री सुरेन्द्र कुमार पिता रामेश्वरलाल ढ़ोली द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर न्यायालय में पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क, ख, ग में वर्णित अंकन राजस्व रेकर्ड से सम्बन्धित होने से स्वीकार है। प्रार्थी गण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत सजरा अस्पष्ट है तथा सजरे में दर्शाये व्यक्तियों की मृत्यु कब हुई का उल्लेख नहीं कर वादी ने जानबुझकर मिथ्या भ्रामक कथन वर्णित किये है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु मिथ्या एवं भ्रामक है तथा स्पष्ट किया जा रहा है कि केसर कुंवर, तखत कुंवर शोभा कुंवर में वादग्रस्त आराजीयात का कोई हिस्सा निहित ही नहीं हुआ तो फिर पश्चात्वर्ती हिस्सा रायसिंह, तेजसिंह में निहित होने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कि[illegible] निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में [illegible] में अंकित तथ्यों [illegible] दोहराया तथा प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को अंकित कर पेश किया [illegible] बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान

सहायक कलेक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टया मामला– उक्त विवादित भूमि ग्राम अरणिया, पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड़, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित **परिशिष्ठ (क)** आ.नं. 238 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, आ.नं. 239 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, आ.नं. 240 रकबा 16 बिस्वा, आ.नं. 246 रकबा 1 बीघा, आ.नं. 299 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ.नं. 306/10 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि एवं **परिशिष्ठ (ख)** में स्थित आ.नं. 244 रकबा 06 बिस्वा भूमि तथा **परिशिष्ठ (ग)** में स्थित आ.नं. 302 रकबा 02 बिस्वा, आ.नं. 303/2 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बिस्वा भूमि उम्मेदसिंह कि कुलिया आराजियात राजस्व अभिलेख में उनके मरणोपरान्त चतरसिंह के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिससे चतरसिंह इसका अभिलिखित खातेदार है। अतः अभिलिखित खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

2. अपूरणीय क्षति – उक्त विवादित भूमि चतरसिंह के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसका जिसका चतरसिंह अभिलिखित खातेदार है जिसमें अभिलिखित खातेदार को निर्माण किया जाने एवं विक्रय किये जाने पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्ध किये जाने से अप्रार्थी–गण को अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुविधा व संतुलन– प्रथम दृष्ट्या मामला व अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को सुविधा व संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:24 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner